अनुदान संख्या 98 - दमन और दीव
GRANT No. 98 – DAMAN AND DIU

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	665,24,00	752,24,00	738,65,27	-13,58,73
पूरक	Supplementary	87,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,12,00
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	85,13,00	96,13,00	96,05,90	-7,10
पूरक	Supplementary	11,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹1358.73 लाख) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹8700.00 लाख के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1358.73 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grant of ₹8700.00 lakhs obtained in March, 2011 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	764.00			
पू.	S.	70.00	932.49	931.40	-1.09
पु.	R.	98.49			
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C-Ministry of Rural Development**				
मुख्य शीर्ष "2236"	Major Head "2236"				
पोषण	Nutrition				
मू.	O.	288.00			
			154.00	154.00	..
पु.	R.	-134.00			
झ-विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	**I-Department of School Education and Literacy**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	1785.00			
			1984.04	1983.95	-0.09
पु.	R.	199.04			
ञ-उच्चतर शिक्षा विभाग	**J-Department of Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	1859.00			
पू.	S.	30.00	2033.18	2026.07	-7.11
पु.	R.	144.18			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
त-सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	**P– Department of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़कें और सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	1970.00	2123.39	2107.36	-16.03
पु.	R.	153.39			
न-शहरी विकास मंत्रालय	**T-Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	2669.00	1400.66	1400.41	-0.25
पु.	R.	-1268.34			

(I) ₹139.00 लाख रु. का प्रावधान बाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹139.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2236" - "पोषक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण - जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता - पंचायतें" के अंतर्गत ₹139.00 लाख की बचत (₹180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायक शिक्षा निदेशक (जिला पंचायत), दमन और दीव द्वारा केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र की निधियों से उसी स्कीम का संचालन किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2236" – "Distribution of Nutritious Food and Beverages – Assistance to Zilla Parishads/District Level Panchayats - Panchayats" – saving of ₹139.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180.00 lakhs) was due to operation of the same scheme by the Assistant Director of Education (District Panchayat), Daman and Diu from Central and Union Territory funds.

(III) मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगरपालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता - दमन और दीव नगरपालिका परिषद" के अंतर्गत ₹1262.79 लाख की बचत (₹2586.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमित उपलब्ध भूमि की वजह से संघ राज्य क्षेत्र की दोनों नगरपालिकाओं में शहरी क्षेत्रों में यूआईजी, यूआईडीएसएसएमटी,बीएसयूपी,

(III) Under Major Head "2217" – "Other Urban Development Schemes – Assistance to Municipalities/Municipal Councils – Daman and Diu Municipal Councils" – saving of ₹1262.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2586.00 lakhs) was due to non-implementation of UIG, UIDSSMT, BSUP, IHSDP & RAY schemes in

आईएचएसडीपी एवं आरएवाई स्कीमों को लागू न किए जाने के कारण हुई।

urban area in both the Municipalities of the Union Territory owing to limited available land.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹70.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 70 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹70.00 lakhs occurred constituting 70 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" - "जिला पुलिस - दमन और दीव" - ₹102.60 लाख का अधिक व्यय (₹70.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹824.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बम्बई पीठ, मुंबई के आदेश से वेतनमानों में संशोधन किए जाने की वजह से पुलिस कार्मिकों के बकायों के लिए अतिरिक्तनिधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2055" – "District Police – Daman and Diu"- excess of ₹102.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹824.00 lakhs including supplementary grant of ₹70.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards arrears to police personnel owing to revision of pay scales ordered by the Honorable Central Administrative Tribunal, Bombay Bench, Mumbai.

(खा) मुख्य शीर्ष "2202"-

(क) "प्रारम्भिक शिक्षा - जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता - पंचायतें"- ₹193.00 लाख का अधिक व्यय (₹361.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दमन और दीव जिलों में प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं के निर्माण और दमन जिले में नए प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - सरकारी माध्यमिक विद्यालय" - ₹116.10 लाख का अधिक व्यय (₹874.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिक्षकों के रिक्त पदों को न भरे जाने, मंहगाई भत्ते में वृद्धि होने और विद्यालय शिक्षकों को आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education – Assistance to Zilla Parishads/District Level Panchayats-Panchayats" – excess of ₹193.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹361.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of class rooms for primary schools in Daman and Diu Districts and construction of new primary school in Daman District.

(b) "Secondary Education – Direction and Administration – Government Secondary Schools" – excess of ₹116.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹874.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts of teachers, increase in dearness allowance and granting benefits under assured career progression scheme to the school teachers.

(गा) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें - जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता - पंचायतें" - ₹134.16 लाख का अधिक व्यय (₹1530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण किए जाने, सड़कों की मरम्मत और प्रतिबद्ध दायित्वों की अदायगी किए

(C) Major Head "3054" – "District and Other Roads – Assistance to Zilla Parishads/ District Level Panchayats - Panchayats" – excess of ₹134.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1530.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of new roads

जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

in rural areas, repairing of roads and payments of committed liabilities.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹95.85 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹95.85 lakhs occurred constituting 58 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर	Capital Outlay on				
पूंजीगत व्यय	Power Projects				
मू.	O.	1890.00			
पू.	S.	100.00	1910.98	1910.98	..
पु.	R.	-79.02			
न - शहरी विकास मंत्रालय	**T – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर	Capital Outlay on Public				
पूंजीगत व्यय	Works				
मू.	O.	270.00			
			377.00	376.99	-0.01
पु.	R.	107.00			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला और	Capital Outlay on Education, Sports,				
संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	Art and Culture				
मू.	O.	300.00			
			455.00	455.00	..
पु.	R.	155.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4215"	Major Head "4215"				
जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	874.00			
			479.83	479.83	..
पु.	R.	-394.17			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	10.00			
			169.82	169.82	..
पु.	R.	159.82			

(I) ₹4.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - बिजलीघर" के अंतर्गत ₹1890.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1990.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो भीमपोर, नानी दमन में 66/11 के वी के सब स्टेशन (सहयोगी लाइन सहित 30 एमवीए) की स्थापना किए जाने के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹79.02 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4801" – "Rural Electrification – Other Expenditure – Power Houses" – the original provision of ₹1890.00 lakhs was augmented to ₹1990.00 by obtaining supplementary grant of ₹100.00 lakhs in March, 2011 which, however, remained unutilised to the extent of ₹79.02 lakhs - due to non-finalisation of tender for establishment of 66/11 KV Sub Station (30 MVA along with associated Line) at Bhimpore, Nani Daman.

(III) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति- निर्माण" के अंतर्गत ₹404.40 लाख की बचत (₹764.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पाइपों और अन्य सामग्रियों की दरों में वृद्धि होने की वजह से पाइपलाइन संबंधी निर्माण कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4215" – "Water Supply – Rural Water Supply – Construction" – saving of ₹404.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹764.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender for pipeline works owing to increase in the rates of pipes and other materials.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹80.79 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹80.79 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - सामान्य प्रशासन" - ₹107.00 लाख का अधिक व्यय (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली में यूटी अतिथि गृह के लिए ओआईडीसी को की जाने वाली अदायगी और कुछ अत्यावश्यक मुख्य निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "4059" - "General – Construction – General Administration" – excess of ₹107.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to payment to be made to OIDC for UT Guest House at New Delhi and execution of some urgent major works.

(खा) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - अन्य व्यय-सामान्य प्रशासन" - ₹155.00 लाख का अधिक व्यय (₹278.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दमन और दीव जिलों में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण करने और अत्यावश्यक प्रकृति के कुछ मुख्य कार्य का निष्पादन किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "4202" - "General Education – Other Expenditure – General Administration" – excess of ₹155.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹278.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of additional class rooms of Middle and Higher Education Schools in Daman and Diu Districts and execution of some major work of urgent nature.

(गा) मुख्य शीर्ष "4801" - "पारेषण और वितरण - अन्य व्यय - भवन" - ₹159.82 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली विभाग द्वारा यथा प्रतिबद्ध विभिन्न चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "4801" – "Transmission and Distribution – Other Expenditure - Buildings"– excess of ₹159.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards various ongoing works as committed by the Electricity Department.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹132.02 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 340 प्रतिशत था।

(II) Under two heads excess of ₹132.02 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 15 percent and 340 percent of the sanctioned provision.